**Seventeenth Loksabha**

an>

Title: Demand to pay wages to contract employees timely as per Payment of Wages Act, 1938.

**श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद):** सभापति महोदय, आजकल तमाम नौकरियां, चाहे वे सरकारी हों, गैर-सरकारी हों या प्राइवेट कंपनीज़ की हों, ये नौकरियां कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर की जा रही हैं । महोदय, इसके ज़रिए किस तरह इन कर्मचारियों को ठगा जा रहा है? सभापति महोदय, पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट, 1936 के मुताबिक हर महीने की सात तारीख तक इन कर्मचारियों को सैलरी मिल जानी चाहिए, यह नियम है । लेकिन चार-चार महीने तक इन कर्मचारियों को पगार नहीं दी जाती है, सैलरीज़ नहीं दी जाती है, क्योंकि वे कॉट्रेक्ट बेसिस पर हैं । दूसरा यह है कि पीएफ जमा करना कानून है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लेबर कॉन्ट्रेक्टर्स पीएफ जमा नहीं कर रहे हैं । तीसरा यह है कि जो कंपनी लेबर कॉन्ट्रेक्टर के जिसको एम्प्लॉय करती है, समझिए अगर 15,000 रुपये उसकी सैलरी है, तो वह कर्मचारियों को 8-9 हज़ार रुपये सैलरी देती है । चूंकि यह कॉन्ट्रेक्ट की नौकरी होती है तो कर्मचारी बड़ा डरा-सहमा हुआ रहता है कि अगर मैंने शिकायत की तो मेरी नौकरी चली जाएगी । इसके लिए लेबर कानून है । मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि पीएफ ऑफिस और लेबर ऑफिस को यह ताकीद की जाए कि ऐसे कर्मचारी, क्योंकि ये लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में अब सिर्फ कॉन्ट्रेक्ट लेबर के तौर पर ही एम्पलॉई किए जा रहे हैं तो इस कानून को कड़क किया जाए और उनको इंसाफ दिलाया जाए ।

**माननीय सभापति :** हमारे अनेक माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिनको शून्य प्रहर में अवसर नहीं मिला है । कल उनको अवसर दिया जाएगा ।